फर्द अहकाम

हनुमान बनाम जगदीश वगै0

र्थना पत्र संख्या: 21/2022

म या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.08.2023	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ग्राम स्यारी पटवार हल्का कांट, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 का राजस्व जमाबंदी के अनुसार हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 11 के कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 13 मार्च 2022 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त विवादग्रस्त आराजी में आकर नाप जोख करने लगे, जिस पर प्रार्थी मौके पर गया तथा अप्रार्थी संख्या 11 के कर्मचारियों को भूमि की नाप–जोख करने का कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 11 के कर्मचारियों ने बताया कि ये खसरा नंबर 13 स्थित ग्राम स्यारी पटवार हल्का कांट, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलोची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि है में टावर लगायेगे, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जो मौके पर खड़े थे, के सामने प्रार्थी ने बताया कि उक्त नाप जोख की भूमि आराजी खसरा नंबर 17 की भूमि है, जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि है तथा उक्त आराजी भूमि का आज दिवस तक विधिवत बटवारा किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार खातेदार का कब्जा – काश्त व स्वामित्व निहित है परन्तु प्रार्थी के बताने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व अप्रार्थी संख्या 11 क्रोधित हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि वे तो उक्त आराजी में ही टावर लगा कर रहेगे तथा प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये, जिस पर आस पास के व्यक्तियों के आ जाने से उस समय तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व अप्रार्थी संख्या 11 के कर्मचारी मौके से चले गये परन्तु जाते जाते प्रार्थी को ऐलानियां धमकी देकर गये है कि वे तो उक्त आराजी भूमि में ही टावर लगा कर रहेंगे, प्रार्थी को जो करना है, वो कर लेवे। प्रार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के कार्यालय में जाकर टावर की. एन. ओ. सी. बाबत मालूमात किया तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 11 के द्वारा खसरा नंबर 13 स्थित ग्राम स्यारी, पटवार हल्का कांट, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची, तहसील आमेर जिला जयपुर में टावर की एन.ओ.सी. जारी करवा ली है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व अप्रार्थी संख्या 11 आपस में साज व मिलीभगत करते हुए, खसरा नंबर 17 में टावर लगाने हेतु आमादा है, जिसका अप्रार्थी संख्या 11 को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वे आराजी संयुक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 0.20 स्थित ग्राम स्यारी, पटवार हल्का कोट, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में किसी प्रकार की कोई व्यवसायिक गतिविधियां संचालित ना करें व ना ही उक्त आराजी भूमि के	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
न्यायालय-जयपुर

उपयोग उपभोग में प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई बाधा व मजाहमत तो स्वयं उत्पन्न करें व ना ही ऐसा कृत्य अपने एजेंट, सर्वेन्ट, प्रतिनि दायभागी आदि से ही करावे ।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 11 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि कम्पनी भारती हैक्साकॉम लिमिटे भारत सरकार के दूर संचार विभाग नई दिल्ली द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान में दूरसंचार करने हेतु लाईसेन्स प्राप्त है तथा इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अन्तर्गत जारी लाईसेन्स के अध्यधीन राजस्थान नेटवर्क एरिया में "एयरटेल" ब्रांड के नाम से दूरसंचार सेवाएँ अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है। मिन अप्रार्थी कम्पनी भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड की सब्सिडरी कम्पनी है। मिन अप्रार्थी कम्पनी का प्रश्नगत दुरसंचार टॉवर प्रारम्भिक आपत्ति की मद संख्या–1 में वर्णितानुसार प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व रूप से ही स्थापित किया जाकर संचालित किया जा रहा है, जो कि पूर्व में प्रार्थी के द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला– जयपुर में दिनांक 29–3–2022 को प्रस्तुत सिविल वाद संख्या– 8/2022 उनवान हनुमान व अन्य बनाम भारती हैक्साकॉम लि० व अन्य बाबत टॉवर हटाये जाने हेतु चाहे गये आज्ञात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष से भी स्पष्ट है। उक्त दुरसंचार टॉवर लगाये जाने के लिए मिन अप्रार्थी कम्पनी के द्वारा अप्रार्थी संख्या – 4 रामचन्द्र पुत्र श्री सुज्याराम जाति–गुर्जर के साथ लीव एण्ड लाइसेन्स अनुबन्ध पत्र दिनांकित 28–10–2021 निष्पादित किया जाकर खसरा नम्बर 13 स्थित ग्राम स्यारी, पटवार हल्का कांट, भु० अभि० नि० बिलौची तह० आमेर जिला– जयपुर की भूमि क्षेत्रफल 50X50 में दुरसंचार टॉवर स्थापित किया जाकर संचालित किया जा रहा है तथा इस बाबत ग्राम पंचायत कॉट पंचायत समिति आमेर जिला– जयपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24–12–2021 प्राप्त किया गया है। दुरसंचार टॉवर पूर्व रूप से उक्त खसरा नम्बर 13 पर स्थापित किया जाकर संचालित किया जा रहा है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपुर्तनीय क्षति कारित नहीं हो रही है। आज का युग इन्टरनेट व कम्प्युटर का युग है। दूरसंचार सेवा आम आदमी, छात्र, कर्मचारी व अधिकारीगण इत्यादि के लिए आवश्यक सुविधा है। स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा डिजिटल इण्डिया विजन का उद्देश्य र गया है जिसके अनुसार मोबाईल टॉवर लगाया जाना आवश्यक है ताकि जन–जन तक नेटवर्क की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सकें। प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति ना होकर जवाब में वर्णित प्रकार से मिन अप्रार्थी कम्पनी को अपुर्तनीय क्षति कारित होगी यदि उक्त दुरसंचार टॉवर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की ... प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न ... मिन अप्रार्थी कम्पनी के पक्ष में है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय अनुतोष हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त आराजी कृषि भूमि है।

(फर्स्ट ट्रैक) आमेर
...न्यायालय–जयपुर

फर्द अहकाम

हनुमान बनाम जगदीश वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 21/2022

जिसका अभी तक विधिवत तकासमा/बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त आराजी भूमि में मोबाइल टावर बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए एवं बिना विधिवत प्रक्रिया अपनायें नहीं लगाया जा सकता है। अप्रार्थीगण बिना विधिवत तकासमा करवाये उक्त भूमि पर मोबाइल टावर लगाना चाहते है मोबाइल टावर लग जाने से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.04.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो मूल के हमफिता रहें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested